

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग10-

लखनऊ: दिनांक: 17-04-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016- 4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं0-387/एक11-2021--4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू0 7022.88 लाख (रू0 सत्तर करोड़ बाइस लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	जनपद	आपदा का प्रकार/मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
		राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	

1	AGRA	09	101.39
2	ALIGARH	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	27.94
3	AMBEDKAR NAGAR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	94.82
4	AURAIYA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	59.12
5	AYODHYA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	118.22
6	AZAMGARH	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	113.03
7	BADAUN	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	75.04
8	BAGHPAT	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	9.99
9	BAHRAICH	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	174.85
10	BALLIA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	106.12
11	BALRAMPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	75.20
12	BANDA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	184.87
13	BARABANKI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	140.34
14	BAREILLY	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	105.26
15	BASTI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	71.40
16	BHADOHI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	27.14
17	BIJNOR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	69.54
18	BULANDSHAHAR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	68.58
19	CHANDAULI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	155.12

20	CHITRAKOOT	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	119.19
21	AMETHI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	72.78
22	DEORIA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	91.16
23	ETAH	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	55.11
24	ETAWAH	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	49.13
25	FARRUKHABAD	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	87.92
26	FATEHPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	145.59
27	FIROZABAD	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	49.69
28	G.B.NAGAR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	32.77
29	GHAZIABAD	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	50.43
30	GHAZIPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	164.52
31	GONDA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	78.12
32	GORAKHPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	149.19
33	HAPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	8.80
34	HARDOI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	189.63
35	HATHRAS	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	17.08
36	AMROHA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	18.74
37	JAUNPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	123.75
		राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	

			92.12
38	JHANSI	09 राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	58.89
39	KANNAUJ	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	112.58
40	KANPUR DEHAT	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	94.66
41	KANPUR NAGAR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	71.06
42	KASGANJ	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	99.69
43	KAUSHAMBI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	205.11
44	KHERI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	127.04
45	KUSHI NAGAR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	124.00
46	LALITPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	67.49
47	LUCKNOW	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	80.09
48	MAHARAJGANJ	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	119.86
49	MAHOBA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	51.74
50	MAINPURI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	75.00
51	MATHURA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	37.09
52	MAU	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	17.81
53	MEERUT	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	141.09
54	MIRZAPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	38.78
55	MORADABAD	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	15.37
56	MUZAFFARNAGAR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	
		09	

57	JALAUN	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	94.22
58	PILIBHIT	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	120.10
59	PRATAPGARH	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	126.55
60	PRAYAGRAJ	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	169.50
61	RAEBARELI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	144.51
62	RAMPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	95.79
63	HAMIRPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	85.17
64	SAHARANPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	75.33
65	SAMBHAL	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	26.37
66	SANT KABIR NAGR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	73.21
67	SHAHJAHANPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	104.43
68	SHAMLI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	14.67
69	SIDDHARTH NAGAR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	115.11
70	SITAPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	181.10
71	SRAWASTI	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	44.66
72	SULTANPUR	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	91.15
73	SONBHADRA	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	302.99
74	UNNAO	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-09	152.61
		राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं मद-	

75 IVARANASI	09	94.37
		Total: 7022.88
(रु० सत्तर करोड़ बाइस लाख अट्ठसी हजार मात्र)		

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं, जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि

से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग /उपभोग/ समर्पण/ वितरण के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(11) मद-09 की उप मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि यथा आवश्यकतानुसार विभिन्न उप-मदों में भी व्यय/उपयोग की जा सकेगी। विगत वर्ष की भांति शासन के निर्देश के क्रम में इसका लेखा-जोखा भी उप मदवार रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 7022.88 लाख (रू0 सत्तर करोड़ बाइस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 17-04-2026
22:07:09
(अरुण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या- 421(1)/एक10-2026-, तद्दिनांक 1

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।